E Content for the Student of Patliputra University

Subject – Political Science

Class – B.A.(Hons.) Part III, Paper VIII

Topic Indian Independance Act, 1947

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. – Pol. SC.
R.R.S. College, Mokama.

1940 के दशक में तेजी से घटनाक्रम में विकास हुआ, जिसने स्वतंत्रता की ओर की राह को आसान बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटेन के चुनाव में चर्चिल और कंजरवेटिव पार्टी की हार, एटली का प्रधान मंत्री बनना, भारत में नौ सेना का विद्रोह आदि ऐसी अनेक घटनाएँ लगातार घटती गईं, जिसने ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया।

लार्ड वेवल के वायसराय बनने के बाद इसकी प्रक्रिया में तेजी आई। क्रिप्स मिशन 1942 में असफल हो चुका था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तीन वरिष्ठ ब्रिटिश मंत्री स्वतंत्रता की प्रक्रिया पर बात करने के लिए भारत आये। जेल में बंद नेताओं को छोड़ा गया तथा वार्ता की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा, विभाजन का विरोध, अन्तरिम सरकार के गठन आदि का प्रस्ताव दिया इसके साथ अल्पसंख्यकों के लिए राज्यों की ग्रुप व्यवस्था जैसी नई-चीजें दी। मुस्लीम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन प्लान का विरोध किया।

इस बीच भारत के विभाजन के लिए मुस्लीम लीग का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में लार्ड माउन्टबेटन भारत के नये वायसराय बनकर भारत आये। प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर रखी थी कि

ब्रिटेन हर हालत में जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। अगर सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई केन्द्रीय सरकार नहीं होगी तो राज्यों की सरकारों एवं देशी राज्यों की सरकारों को सत्ता हस्तांतरित कर देगी।

इस स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाई। भारत के विभिन्न वर्गों के नेताओं एवं देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों से वार्ताओं का दौर आरम्भ हुआ। सारी वार्ताओं और स्थितियों के अनुसार माउन्टबेटन ने अपनी योजना तैयार की। इस आधार पर बना कानून ब्रिटिश संसद में 3 जून 1947 को पेश किया गया। कारण ब्रिटिश संसद से पारित होने तथा सम्राट की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 अस्तित्व में आया। इसी कारण के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्रदान की प्रक्रिया को "सत्ता का हस्तांतरण" (Transfer of Power) कहा। इस अधिनियम में निम्न लिखित प्रावधान किये गये —

(1) दो अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत को दो अधिराज्यों में विभाजित कर सत्ता का हस्तांतरण किया जायेगा। पाकिस्तान का निर्माण पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि पूर्वी बंगाल आज अलग देश बंगलादेश बन गया।

(2) देशी राज्यों को स्वतंत्रता - इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जितने देशी राज्यों से ब्रिटिश सरकार ने समझौता किया था, वे सब स्वतंत्र होंगे। वे चाहें तो दोनों अधिराज्यों - भारत और पाकिस्तान में

अपना विलय कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं।

(3) भारत ब्रिटेन का उत्तराधिकारी राज्य होगा अतः उसे ब्रिटेन को प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता स्वतः प्राप्त होगी। तथा संधियों के प्रति अपने दायित्व का भी निर्वाह करेगी। पाकिस्तान को नये सिरे से संधियाँ करनी होगी तथा संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।

(4) तथा दोनों देशों की अन्तरिम सरकारें को सौंप दी जायेगी। दोनों सरकारें अपनी विधायिका की सहमति से नये कानून बना सकती हैं।

5. दोनों अधिराज्यों के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल नियुक्त होंगे। एक ही व्यक्ति दोनों अधिराज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है।

6. अस्थायी रूप में दोनों अधिराज्यों की व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा चलाई जा सकती है। दोनों की संविधान सभा अपने संविधान को बनाकर लागू करेगी।

7. गवर्नर जनरल का दायित्व होगा कि इस अधिनियम को लागू करायें तथा विभाजित राज्यों की सीमा रेखा निर्धारित करवायें। इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाई दूर करें।

8. ब्रिटिश सैन्य सेवा तथा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों को बनाये रखने का समुचित प्रबंध किया गया है।

9. इस अधिनियम द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि उनके किसी कार्य के लिए भारत या उसके बाहर भारत सचिव पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

10 यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से क्रियान्वित हो जाएगा।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस अधिनियम द्वारा वर्षों से स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के रूप में भारत को स्वतंत्रता मिली, किन्तु स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत के रूप में विभाजन की शर्त को स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस, उसके नेता तथा स्वयं महात्मा गांधी भी विभाजन के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता का विरोध करते थे। परन्तु 1947 का यह अधिनियम विभाजन की नींव पर ही स्वतंत्रता का महल तैयार किया। परिस्थिति के अनुसार यह स्वीकार करना लाचारी था किन्तु सम्प्रदाय के आधार पर राष्ट्र का विभाजन कभी उचित नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति पर भारतीय सत्ता का आरंभ किया था, उसका सबसे विकृत तथा अमानवीय परिणाम के रूप में यह अधिनियम सामने आया।